

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय- बैढन(म.प्र.)

--:: विविध आदेश ::--

क्र./३२/सीजेएम/२०२४

सिंगरौली, दिनांक : ०२.०४.२०२४

मैं **के.पी. सिंह**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में ०३.०० पी.एम. बजे से ०५.०० पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु व्यवस्था करता हूँ, तथा यदि रिमांड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा।

सिंगरौली मुख्यालय बैढन -

क०	न्यायिक अधिकारी	माह अप्रैल २०२४
		रिमांड दिनांक
१.	श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन	१७.०४.२०२४
२.	सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. बैढन	०७.०४.२०२४, १४.०४.२०२४
३.	सुश्री राजश्री भार्गव, जे.एम.एफ.सी. बैढन	०९.०४.२०२४, २८.०४.२०२४
४.	सुश्री प्रिन्सु मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. बैढन	११.०४.२०२४, २१.०४.२०२४

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क०	न्यायिक अधिकारी	माह अप्रैल २०२४
		रिमांड दिनांक
१.	श्री विष्णुकान्त मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	०७.०४.२०२४, ०९.०४.२०२४, ११.०४.२०२४
३.	श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	१४.०४.२०२४, १७.०४.२०२४
४.	श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	२१.०४.२०२४, २८.०४.२०२४

- नोट:-
1. यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
 2. रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
 3. उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करते हुए आपस में रिमाण्ड डियूटी बदल सकते हैं।
 4. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में रिमाण्ड डियूटी कर रहें न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली द्वारा किया जावेगा।
 5. यदि किसी कारणवश **माह अप्रैल, 2024** में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो **माह अप्रैल 2024** में मुख्यालय बैढन का रिमाण्ड कार्य **श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन जिला सिंगरौली म०प्र०** के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं देवसर मुख्यालय में **श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०** के द्वारा रिमांड डियूटी निष्पादित किया जाएगा।

(क.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

पृ.क्र./ 32/2024

सिंगरौली, दिनांक : 02.04.2024

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्या० बैढन, जिला सिंगरौली (म०प्र०) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
4. सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
5. श्री आयुष कनेल, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
6. श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
7. श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
8. सुश्री राजश्री भार्गव, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
9. सुश्री प्रिंसू मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैढन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
10. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
11. जिला नाजिर, जिला न्यायालय बैढन/देवसर जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
12. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैढन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
13. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन/देवसर की ओर सूचनार्थ।

(क.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सिंगरौली (म०प्र०)